

फर्द अहकाम

अज अदालत-न्यायालय जिला कलक्टर-मुकाम-भरतपुर
नरोत्तम सैनी बनाम लो.सू.अधि. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका बयाना
किस्म मुकदमा अपील RTI नम्बर २१५... सन् 202३

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये
17.05.2024	<p>प्रार्थी/अपीलान्ट नरोत्तम सैनी पुत्र उमेश चन्द, निवासी रेल्वे ए केबिन के पास वेयर हाउस रोड बयाना, पोस्ट बयाना जिला भरतपुर की यह अपील आर टी आई के तहत अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका बयाना के खिलाफ प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्राप्त अपील का अवलोकन किया गया। अपील के साथ संलग्न फोटो प्रति पत्रादि से जाहिर है कि प्रार्थी ने आर.टी.आई. के तहत प्रेषित प्रार्थना पत्र में लोक सूचना अधिकारी अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका बयाना द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण आर.टी.आई. के तहत इस कार्यालय को प्रेषित की गई है।</p> <p>आर.टी.आई. एक्ट के तहत लोक सूचना अधिकारी अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका बयाना के खिलाफ अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार जिला कलक्टर भरतपुर को नहीं है।</p> <p>अतः प्राप्त मूल अपील वापस लौटाई जाकर अपीलार्थी को लिखा जावे कि वह नियमानुसार सीधे ही सक्षम अधिकारी को अपील प्रस्तुत करें। पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।</p>	


जिला कलक्टर
भरतपुर